

उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

राज्य बनाम नान्हु भुईयां।

संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या-22/2013-14

आदेश

अपर समाहर्ता, कोडरमा के पत्रांक-1425/रा0 दिनांक 22/08/2016 से संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या-22/2013-14 राज्य बनाम नान्हु भुईयां पिता-संपत भुईयां, साकिन-कौवावर, अंचल-कोडरमा, अग्रतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्ता, कोडरमा द्वारा आदेश फलक की पृ0सं0-13 पर अनुसंसा के साथ प्रतिवेदन अंकित किया गया है।

अभिलेख में पृष्ठांकित अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा-कौवावर, थाना नं0-236, खाता संख्या-92, प्लॉट नं0-369 एवं 659, रकवा-0.38 एवं 0.20एकड़ कुल रकवा-0.58 एकड़ भूमि की जमाबन्दी हल्का कार्यालय में उपलब्ध पंजी ॥ के पृष्ठ संख्या 107/1 पर नान्हु भुईयां पिता-संपत भुईयां के द्वारा अपने दावे के समर्थन में बन्दोबस्ती पर्चा प्रस्तुत नहीं किया गया है। रैयती मान्यताकरण अभिलेख संख्या 22/2013-14 के आदेश फलक के पार पृष्ठ संख्या 11 पर भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कोडरमा के द्वारा उल्लेखित किया गया है कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता, हजारीबाग के पत्रांक 586/रा0 दिनांक 13.05.15 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके कार्यालय में उपलब्ध बन्दोबस्ती पंजी से मिलान किया गया परन्तु संबंधित रैयत का नाम एवं वाद संख्या कार्यालय में उपलब्ध पंजी में अंकित नहीं पाया गया। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भी उपलब्ध बन्दोबस्ती पंजी से मिलान किया गया परन्तु संबंधित रैयत का नाम एवं वाद संख्या कार्यालय में उपलब्ध पंजी में अंकित नहीं है। अंचल अधिकारी, कोडरमा द्वारा दावेदारों को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत कर सुनवाई किया। इस संबंध में उनके द्वारा जमाबन्दी कायम का कोई पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्ता, कोडरमा द्वारा बन्दोबस्ती पंजी में रैयत का नाम एवं वाद संख्या अंकित नहीं होने के कारण बन्दोबस्ती को संदेहास्पद पाते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम-1950 की धारा-4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की अनुसंसा की गई है।

अपर समाहर्ता, कोडरमा से अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 30-8-2016 को विपक्षी को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। नोटिस निर्गत करने के पश्चात सुनवाई के लिए निर्धारित चार तिथियों को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लगातार लिखित जवाब दाखिल करने हेतु समय की माँग की गयी और लिखित जवाब दाखिल नहीं किया गया है।


सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा अंचल अधिकारी, कोडरमा के प्रतिवेदन के आलोक में उक्त जमाबन्दी को संदेहास्पद पाते हुए राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2074/13.5.16 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम-1950 की धारा-4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की कार्रवाई को सरकार के हित में न्यायोचित बतलाया गया।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से उक्त बन्दोबस्ती संदेहास्पद प्रतीत होती है। अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्ता, कोडरमा की अनुसंसा और सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा के विधिक मंतव्य के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के प्रावधानानुसार मौजा-कौवावर, थाना नं0-236, खाता संख्या-92, प्लॉट नं0-369 एवं 659, रकवा-0.38 एवं 0.20एकड़ कुल रकवा-0.58 एकड़ पर नान्हु भुईयां पिता-संपत भुईयां के नाम से कायम जमाबन्दी, Schedule-1 की जमाबन्दी धारा 4(h) of Bihar Land Reform Act 1950 के अन्तर्गत रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त ज्जरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेजे।

Details of Land:- मौजा-कौवावर, थाना नं0-236, खाता संख्या-92, प्लॉट नं0-369 एवं 659, रकवा-0.38 एवं 0.20एकड़ कुल रकवा-0.58 एकड़।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त, कोडरमा।




उपायुक्त
कोडरमा।